प्ररूप 37

[नियम 25(2)]

उत्तरवर्ती देखभाल के लिए सपुर्दगी आदेश

.....(बालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री श्री ....., दिनांक .....को .....वर्ष की आयु पूरी कर लेगा। पुनर्वास और पुनर्समेकन तथा विशेष रुप से..... .....(उद्देश्य/प्रयोजन) हेतु उत्तरवर्ती देखभाल के लिए उसे,..... (संगठन का नाम) के सपुर्द किया जाता है। संगठन के प्रभारी को निदेश दिए जाते हैं कि वह बालक/बालिका की देख भाल करे तथा उसे उसके पुनर्वास व पुनर्सम्मेकन के लिए गंभीरतापूर्वक सभी अवसर प्रदान करे। बालक/बालिका को ऐसे अवसर केवल 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या समाज में पुन:समेकन होने तक जो भी पहले हो, प्रदान किए जाएंगे। संगठन प्रभारी, बाल/किशोर/किशोरी की स्थिति की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को भेजेगा।

राज्य/जिला बाल देखरेख इकाई को निदेश दिए जाते हैं कि उक्त व्यक्ति की, ...(दिन/माह) तक देख भाल के लिए तथा उपर्युक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक अनुवर्ती कार्यों के लिए, ...उपर्युक्त व्यक्ति के नाम बैंक में खाता खोलेगा।

बाल न्यायालय/मुख्य मजिस्टेट, किशोर न्याय बोर्ड/

अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रतिलिपि: राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार का संबंधित विभाग